(ख) व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगार;

(ग) गाँव की सीमा के भीतर रखे यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहनों पर कर;

(घ) गाँव की सीमा के भीतर पशुधन की बिक्री पर कर;

(ङ) थियेटर अथवा प्रदर्शनी पर मनोरजंन कर;

(च) प्रकाश कर;

(छ) नाली कर;

(ज) ग्राम के क्षेत्राधिकार में पूजा स्थानों, मेलों और भोजनालयों में सफाई प्रबन्धन प्रदान करने के लिए शुल्क;

(झ) मार्केटों, भोजनालयों, मेलों और त्योहारों में माल की बिक्री पर शुल्क;

(ञ) ग्राम परिषद के प्रबन्धन के अन्तर्गत पशुओं के चरागाह में चरने के लिए शुल्क;

(ट) गाँव में फसलों को पहरेदारी करने हेतु शुल्क;

(ठ) सार्वजनिक फेरी लगाने हेतु शुल्क ।

(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट कर और शुल्क को ऐसे तरीके से जैसा इस समय निर्धारित किया गया है, लगाया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और वसूला जाएगा ।

उगाही अथवा कर के खिलाफ अपील

37. कोई भी व्यक्ति जो धारा 36 के अन्तर्गत निर्धारण, उगाही अथवा कर अथवा शुल्क के लागू करने से दुःखी है, वह ऐसे कर अथवा शुल्क लागू किए जाने के आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर सहायक आयुक्त को अपील कर सकते हैं ।

कर अथवा शुल्क की उगाही पर रोक

38. उपायुक्त सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके धारा 36 के अधीन उगाही और लागू किए गए कर अथवा शुल्क को रोक सकते हैं और किसी भी समय इसी प्रकार इस रोक को हटा भी सकते हैं ।

मार्केट आदि को पट्टे पर देना

39. सार्वजनिक नीलामी अथवा निजी अनुबंध द्वारा पट्टे पर देना ग्राम परिषद के लिए विधियुक्त होगा, यदि धारा 36 के अन्तर्गत इस प्रकार शुल्क लगाया गया हो तो मार्केटों और बाजारों से शुल्क एकत्रित किया जाएगा ।

बशर्ते कि पट्टे पर लेने वालों को पट्टे अथवा अनुबंध की शर्तों को पूरा करने हेतु जमानत जमा देना होगा ।

करों और अन्य बकायों की वसूली

40. (1) जब ग्राम परिषद को देय कोई कर अथवा शुल्क बकाया हो तो ग्राम परिषद को जहाँ तक हो सके उस व्यक्ति को भुगतान हेतु एक सूचना भेजनी होगी, उस व्यक्ति से जो बकाया राशि प्राप्त होना है इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में एक डिमांड सूचना भेजनी होगी और उस व्यक्ति को इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उस राशि का भुगतान करना होगा ।

(2) उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक माँग की सूचना निर्धारित अनुसार दिया जाना होगा ।

(3) यदि जिस राशि के लिए माँग सूचना भेजी गई हो उसे इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अदा नहीं किया गया तो ग्राम परिषद निर्धारित तरीके से वसूली के लिए सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं ।

लेखा

41. प्रत्येक ग्राम परिषद अपने प्राप्ति और व्यय का लेखा निर्धारित तरीके से रखेगा ।

व्यय का वार्षिक आकलन

42. (1) प्रत्येक ग्राम परिषद ऐसे समय में और ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया गया है, प्रत्येक वर्ष इसके अनुमानित प्राप्ति का बजट और अगले वर्ष के लिए संवितरण तथा द्वीप परिषद के लिए बजट प्रस्तुत करेगा जो ग्राम परिषद का क्षेत्र द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है ।